न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—436 सन् 2016

उपेन्द्र प्रसाद सिंह वो अन्य......................वादीगण

बनाम

रंजीत राय वो अन्य...........प्रतिवादीगण

दिनांक— 17.01.2022

वादी अनुपस्थित है। उचित पैरवी करें। आज अभिलेख वादीगण की ओर से आदेश 26 नियम 9 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 28.09.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादीगण का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादीगण को वाद की जानकारी होने के पश्चात् भी न्यायालय में हाजिर नहीं हुए हैं। उनके विरूद्ध डाक रजिस्ट्री वो प्रकाशन के माध्यम से सूचना दी गई है। प्रतिवादीगण तकरारी सर्वे नं0 की जमीन में वाद के दौरान डीलविथ किए वो वाद की तकरारी सर्वे अनुसूची सं0 01 में जबरदस्ती फेरबदल करके उनके भौतिक स्वरूप में परिवर्तन करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में तकरारी सर्वे अनुसूची सं0 01 वादपत्र के वर्तमान भौतिक स्वरूप के नविस्ते स्थानीय जांच कराकर असल सूरत अभिलेख पर मंगाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः किसी अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त करके तकरारी जमीन अनुसूची सं0 01 वादपत्र के निस्वत आवेदन में लिखित बिन्दुओं पर स्थानीय जांच कराकर प्रतिवेदन मंगा लिया जाए।

प्रतिवादगण इस वाद में उपस्थित नहीं हुए हैं। प्रस्तुत वाद में एकपक्षीय कार्रवाई प्रतिवादीगण के विरूद्ध चल रही है और

वादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुतिकरण हेतु वाद नियत है। वादीगण ने आवेदन मं प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह कथन किया है कि प्रतिवादीगण तकरारी सर्वे की जमीन में वाद के दौरान डिल विथ किए हैं और जबरदस्ती फेरबदल करक उसके भौतिक स्वरूप को परिर्वतन करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में विवादित एराजी खाता सं0 51 सर्वे नं0– 693 की विवादित भूमि पर अधिवक्ता आयुक्त के द्वारा स्थानीय जांच कर प्रतिवेदन की मांग किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः वादिगण की ओर से दाखिल आवेदन को स्वीकृत किय जाता है। वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे अधिवक्ता आयुक्त शुल्क मो0–2500/– रूपया नजारत में जमा करें।

वाद दिनांक 31.01.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।